

## निर्वाचन व्ययों का सार विवरण

## भाग-I

मत्त्यर्थी का नाम	<u>दूष्ट लक्ष्मा</u>	श्री/ श्रीमती/ कुमारी
निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	<u>३२२ डिस्ट्रिक्ट शहर बिहार</u>	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	<u>बिहार</u>	
निर्वाचन का स्वरूप (राज्य विधान सभा/ लोक सभा के साधारण निर्वाचन/ उप-निर्वाचन का उल्लेख करें)		<u>लोक सभा समाधान २०१७</u>
मत्त्यर्थी घोषणा की तारीख	<u>११/३/१७</u>	
निर्वाचन अभिकर्ता का नाम एवं पता	<u>इ-१०४४४० श्री इमामुल्लाह</u>	
यदि अभ्यर्थी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, तो कृपया उस राजनैतिक दल के नाम का उल्लेख करें		
उस राजनैतिक दल एक मान्यता प्राप्त दल है?		<u>हाँ/ नहीं</u>

दूष्ट लक्ष्मा  
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम दूष्ट लक्ष्मा

## भाग-II अन्यथी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण

क्रों सं०	विवरण	अन्यथा / उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपग्रह / प्राधिकृत व्यय (रुपये में)	राजनीतिक दल द्वारा उपग्रह / प्राधिकृत राशि (रुपये में)	अन्यौं द्वारा उपग्रह / प्राधिकृत राशि (रुपये में)	कुल निर्वाचन व्यय (स्तम्भ 3, 4 एवं 5 का जोड़)
1	2	3	4	5	6
I	जन सभाएं, रैली, जुलूस इत्यादि पर व्यय	20000-00	—	—	—
II	जन सभा, रैली जुलूस इत्यादि पर व्यय (अर्थात् : राजनीतिक दल के स्टार प्रचारक सहित होने वाले आयोजनों को छोड़कर) (अनुबंध 1 के अनुसार संलग्न करें) 10000	10000	—	—	—
III	स्टार प्रचारक (को) के साथ जन सभा, रैली जुलूस इत्यादि पर व्यय (अर्थात् : साधारण पार्टी प्रचार याते आयोजनों को छोड़कर) (अनुबंध 2 के अनुसार जलाया गया)	—	—	—	—

III	कपड़ा गेटवे, बैंक एम एस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची 4 के अनुसार संलग्न करें)		
IV	अच्छी दरा प्रयुक्त प्रचार वाहन (नो) पर व्यय (अनुसूची 5 के अनुसार संलग्न करें)	3000/-	
V	प्रचार कार्यकर्ताओं /अधिकर्ताओं का व्यय (अनुसूची 6 के अनुसार संलग्न करें)	5000/-	
VI	अन्य कोई प्रचार व्यय	10100/-	
	कुल योग	77100/-	

(85)

**भाग-III अभ्यर्थी द्वारा खर्च की गई निधियों के स्रोत का सार**

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
1	2	3
I	निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त निजी निधि की राशि (अनुसूची 7 के अनुसार संलग्न करें)	रु. ५८८० - ००
II	पार्टी (टियों) से नकदी या चेक इत्यादि में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 8 के अनुसार संलग्न करें)	
III	किसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघों/वैयक्तिक निकायों इत्यादि से ऋण, उपहार या चंदे इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 9 के अनुसार संलग्न करें)	रु. १०८० - ००
	कुल	रु. १६८० - ००

